रायपुर विकास प्राधिकरण

भक्त माता कर्मा व्यावसायिक परिसर
न्यू राजेन्द्रनगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

(क्रमांक– **09** दिनांक **02.05.2025**)

रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा छ.ग. शासन के एकल प्रणाली पंजीयन के अंतर्गत "द" श्रेणी (एक करोड़ तक के निर्माण कार्यो के लिये) एवं उससे ऊपर की श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु पी.डब्ल्यू.डी. भवन एस.ओ.आर. 01.01.2015 पर मुहरबंद निविदाएँ प्राधिकरण की निर्धारित निविदा प्रपत्र "अ" प्रतिशत कम/अधिक दरों में दिनांक **16.05.2025** को अपरान्ह 4.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अपरान्ह 4.15 बजे तक प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित निविदाकर्ताओ के समक्ष खोली जावेगी। उक्त आमंत्रण सूचना तथा आगामी संशोधन वेबसाइट https://rda.cgstate.gov.in/ में देखा जा सकता है।

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की कीमत	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	प्राधिकरण की डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवास योजना के अंतर्गत सरोना योजना के चेम्बर कव्हर का निर्माण/मरम्मत कार्य।	रू. 2,91,513/–	रू. 6,000/–	रू. 2,000/–	एक माह

निविदा प्रपत्र प्राधिकरण कार्यालय में सहायक अधीक्षक (तक.) से शासकीय कार्य दिवसों में दिनांक **15.05.2025** को (दोपहर 1.30 बजे तक) निर्धारित राशि नगद में राशि जमा कर तथा अन्य जानकारियॉ प्राप्त किया जा सकता है। धरोहर राशि दिनांक **16.05.2025** को 1.30 बजे तक एफ. डी.आर के रूप में जो कि रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के नाम पर देय हो, प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए ठेकेदारों को निम्नानुसार जानकारी/अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (1) निर्धारित श्रेणी का वैध पंजीयन। (2) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा रू. 25,000/– का अधिप्रमाणित शोध क्षमता प्रमाण–पत्र (3) गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन (4) ई0 एस0 आई0 सी0 अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन अथवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर शपथ पत्र (5) आयकर के पेनकार्ड की प्रति जमा करना होगा।

उपरोक्त क्रमांक 1 से 5 तक के लिए दस्तावेजों के फोटो कॉपी निविदा प्रपत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा तथा मूल प्रति भी दिखाना होगा। इन शर्तो के अतिरिक्त प्राधिकरण में कार्य कर चुके/कार्यरत ठेकेदारों द्वारा कार्य को निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करने में अनावश्यक विलंब के संबंध में विचारोंपरांत ही निविदा प्रपत्र प्रदान करने का निर्णय कार्यालय द्वारा लिया जाएगा।

2/5/25

अधीक्षण अभियंता
रायपुर विकास प्राधिकरण,
रायपुर (छ.ग.)

N I T 2012